

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 26/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/ 44

प्रार्थी

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड
सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा,
सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम एच
एसबीसी बैंक के सामने, जयपुर
जरिये अधिकृत अधिकारी आंचल शर्मा

अप्रार्थीगण

- बनाम**
1. सुरजीत धानका, प्रथम पता-प्रोपर्टी एट पट्टा नम्बर 10, वार्ड नं. 03 ग्राम-मुडियावत, डीडवाना, द्वितीय पता-मूरियावत, लैण्डमार्क टेम्पल, जिला-डीडवाना-कुचामन।
 2. प्रिया धानका, पता, प्रोपर्टी एट पट्टा नम्बर 10, वार्ड नं. 03 ग्राम-मुडियावत, डीडवाना, डीडवाना-कुचामन
 2. रामनिवास, पता-, प्रोपर्टी एट पट्टा नम्बर 10, वार्ड नं. 03 ग्राम-मुडियावत, डीडवाना, डीडवाना- कुचामन द्वितीय पता-मूरियावत, बेरी छोटी(लेण्डमार्क टेम्पल) जिला- डीडवाना-कुचामन
 4. पूरनी देवी, प्रथम पता- प्रोपर्टी एट पट्टा नम्बर 10, वार्ड नं. 03 ग्राम-मुडियावत, डीडवाना, डीडवाना- कुचामन द्वितीय पता- मूरियावत, बेरी छोटी(लेण्डमार्क टेम्पल) जिला- डीडवाना-कुचामन, तृतीय पता-मोरियावत,(लैण्डमार्क टेम्पल) डीडवाना-कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋण की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक: 04/10/2023



प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 300000/- (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) दिनांक 06.12.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में प्लाट पट्टा नम्बर 10, बुक नम्बर 54, ग्राम मूडियावत, वार्ड नं. 3, तहसील डीडवाना, जिला-डीडवाना कुचामन, कुल क्षेत्रफल 156.05 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में मकान ताराचन्द, पश्चिम में मकान जगदीश, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में मकान टीकू राम स्थित है। जो

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 30.9.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 288931.28/- (अक्षरे रुपये दो लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ इकत्तीस रुपये अठ्ठाइस पैसे मात्र) दिनांक 30.9.2022 तक शेष देय व दिनांक 30.9.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 20.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 288931.28/- (अक्षरे रुपये दो लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ इकत्तीस रुपये अठ्ठाइस पैसे मात्र) दिनांक 30.9.2022 तक शेष देय व दिनांक 30.9.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता की आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।


बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- प्लॉट पट्टा नम्बर 10, बुक नम्बर 54, ग्राम मूडियावत, वार्ड नं. 3, तहसील-डीडडवाना, जिला-डीडडवाना कुचामन, कुल क्षेत्रफल 156.05 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में मकान ताराचन्द, पश्चिम में मकान जगदीश, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में मकान टीकू राम स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 300000/- (अक्षरे रुपये तीन लाख मात्र) दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आरथी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आरि के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आरि या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आरि और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।




जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उराकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिगुति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- प्लॉट पट्टा नम्बर 10, बुक नम्बर 54, ग्राम मूडियावत, वार्ड नं. 3, तहसील-डीडवाना, जिला-डीडवाना कुचामन, कुल क्षेत्रफल 156.05 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में मकान ताराचन्द, पश्चिम में मकान जगदीश, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में मकान टीकू राम स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(सीताराम जाट, IAS)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन